

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)
पत्रांक/आ0प्र0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक

विषय :- स्टील बक्सा एवं बर्तन क्रय के लिए निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के निदेशानुसार स्टील बक्सा एवं बर्तन क्रय के लिए निविदा प्रकाशन किया जाना है।

अतः अल्पकालीन निविदा सूचना का प्रारूप की पाँच प्रतियाँ एवं सी0डी0 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्र यथा- दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में निविदा प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक449...../आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक09-07-16.....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं अपने जिला में प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अल्पकालीन निविदा को जिलाधिकारी के वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

निविदा संख्या-04/14-15

जिले में उपलब्ध महाजाल एवं इन्फ्लेटेबल मोटर बोटों आदि के रख-रखाव हेतु पर्याप्त मात्रा में स्टील बक्सा का क्रय किया जाना है। साथ ही बाढ़ आपदा के दौरान राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने एवं परोसने के लिए बर्तनों की आवश्यकता है। विभाग द्वारा राहत शिविरों हेतु पाँच-पाँच सौ व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने एवं परोसने हेतु बर्तनों का क्रय करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार 150 व्यक्तियों के लिए एक साथ भोजन बनाने हेतु निम्नांकित आकार एवं मात्रा का बर्तन तथा स्टील बक्सा के दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से एतद् द्वारा सील बन्द तकनकीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

- निविदादाताओं को मो0-10,000/- (दस हजार) रुपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा, जो जिलाधिकारी, मधेपुरा के नाम से देय होगा। दस हजार रुपये नगद भी स्वीकार किया जायेगा, जिसका नाजीर रसीद देय होगा। निविदा प्राप्ति की तिथि 22/11/16 के अपराहन 01:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराहन 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाताओं एवं उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

- A. स्टील बक्सा का विवरण :-

क्र0	सामग्री का विवरण	साइज	गुणवत्ता	सामग्री मात्रा
1	स्टील बक्सा	लम्बाई- 96 इंच चौड़ाई- 48 इंच ऊँचाई- 48 इंच	स्टील चदरा टटा कम्पनी का 63 एम0एम0 का	40 (चालीस) (पीस आवश्यकतानुसार संख्या घट-बढ़ सकता है)।

- B. बर्तन का विवरण :-


क्र0	सामग्री का विवरण	साइज	मात्रा
1	पतीला अल्युमिनियम	30"	02
2	पतीला अल्युमिनियम	25"	01
3	पतीला अल्युमिनियम	20"	02
4	पतीला अल्युमिनियम	18"	01
5	परात अल्युमिनियम	29"	01
6	परात अल्युमिनियम	26"	02
7	कड़ाही लोहे की	29"	02
8	पलटा लोहा बड़े साइज का		01
9	झरना लोहा बड़े साइज का		01
10	झरना लोहा छोटे साइज का		02
11	करछी स्टील/ लोहा बड़े साइज का		06
12	करछी स्टील/ लोहा मंझले साइज का		01

13	प्रेसर कुकर 20 ली०		02
14	आटा चलनी बड़े साईज का		02
15	थाली (स्टील)		100
16	कटोरा (स्टील)		100
17	चकला बेलन बड़े साईज का पिढ़ा टाईप)		02
18	गैस भट्टी		02
19	चपाती भट्टी तावा के साथ		01
20	डल्लु स्टील 250 ग्राम		02
21	चिमटा स्टील		02
22	हमाम दस्ता		01
23	लोहा का बाल्टी	16"	05
24	चाकू बड़ा		04
25	चाकू छोटा		04
26	ग्लास स्टील		100
27	जग स्टील		05
28	स्टील कन्टेनर (क्षमता 25 किलो से 100 किलो तक)		10
29	कठौता (स्टील/ अल्युमिनियम)		05
30	अल्युमिनियम ट्रे		02

निविदा की आवश्यक शर्तें :-

- निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाताओं को इस आशय का एकरारनामा भरना होगा कि आपूर्ति आदेश के 24 घंटे के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवर्ता एवं मात्रा के अनुसार बक्से एवं बर्तनों की आपूर्ति निश्चित रूप से देंगे एवं आवश्यकतानुसार जिला मुख्यालय तक पहुँचा देंगे। इसके लिए किसी परिवहन शुल्क या अन्य चार्ज देय नहीं होगा।
- निविदादाताओं को आपूर्ति किए जाने वाले स्टील बक्सा एवं बर्तन की गुणवत्ता के अनुरूप स्टील घदरा एवं बर्तन के धातु का नमूना साथ में लाना होगा।
- निविदादाता स्टील बक्सा एवं बर्तन के लिए एक साथ अथवा अलग-अलग निविदा दे सकते हैं।
- आपूर्तिकर्ता बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निबंधित हो एवं उन्हें दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम अंतर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो एवं (PAN/TIN No.) उपलब्ध हो। सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- निविदादाताओं को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनकी फर्म काली सूची में शामिल नहीं है।
- निविदा देने के पश्चात् निविदादाताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों हेतु वाणिज्य कर विभाग निबंधित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में निविदा अवैध होगी।

- निविदादाताओं यदि बिहार प्रान्त के बाहर के हैं, तो उनका कार्यालय या व्यापार बिहार प्राप्त के अंदर होना चाहिए।
- स्वीकृत की गई निविदादाता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
- बर्तनों में धातुओं की शुद्धता अनिवार्य है। निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
- बर्तन आपूर्तिकर्त्ताओं को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि सभी बर्तन खाना पकाने /परोसने एवं खाने के लिए उपयुक्त है।
- निविदा में सभी सामग्रियों का दर तथा सभी तरह के कर को अलग-अलग अंकित करते हुए कुल दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
- निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लायेंगे, ताकि उनकी गुणवत्ता वजन आदि की जाँच की जा सके।
- सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
- स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
- बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- स्वीकृत निविदादाता के द्वारा स-समय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।
- कोई भी निविदा या दावा मधेपुरा जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा, विशेष जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा से सम्पर्क कर सकते हैं।
- आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार बी०एस०टी० /टी०ओ०पी० देय होगा, जिसकी कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जाएगी।
- सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदादाताओं को अधिमानता दी जायेगी।
- विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी, मधेपुरा के वेबसाइट - <http://madheपुरa.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।


 जिलाधिकारी
 मधेपुरा।